

प्र.सं. 399/2022 Online No. 2022/567

~~अंतर्-मार्ग देवी / लाहदास व अन्य~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम हुक्म की में जारी
22/2/23	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 29/3/23 को पेश हो। आज्ञा से रिडर	
23/3/2023	पत्रावली पेश हुई। जज/उपजज कोर्ट के अंतर्गत विवादी/अपक्ष विवादी को बार-बार आदेश लागाई गई, इनके बावजूद भी अपक्ष नहीं होने के कारण कार्य नहीं अग्रगत है कार्य जारी है मुकदमा अपक्ष को एक पक्षीय बरक हुई जारी, पत्रावली को जज/उपजज द्वारा एक स्वीकार किया जा रहा है कि पक्षों के बिना जज/उपजज शुद्ध न्याय के द्वारा जज/उपजज करने हो पत्रावली के मूल श्रुति के अनुसार अग्रगत हो उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
399/2022

दायर दिनांक

01.11.2022

उनवान

निर्णय दिनांक

29.03.2023

1. श्रीमति मांगी देवी पत्नी भूरदास बैरागी निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

बनाम

1. लादूदास पुत्र बंशीदास वैष्णव निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. शुगन पुत्र नन्दा दरोगा निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. सम्पतदास पुत्र रामप्रसाददास वैष्णव निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. खुमाण पुत्र मदन दरोगा निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

— विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी श्री शोभागमल कुमावत
एक तरफा विपक्षीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

—:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खायडा प0ह0 खायडा भू0अ0नि0क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 281 की अभिलिखत आराजियात आराजी संख्या 258 किता 01 रकबा 0.7081 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 29.03.2023 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

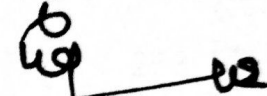
हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन् किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा खायडा प0ह0 खायडा भू0अ0नि0क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 281 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 258 किता 01 रकबा 0.7081 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न होतो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका वं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिशनर नियुक्त किया जाता है, कमिशनरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिशनरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विनोद कुमार)
आर.ए.एस.
उपमुख्य अधिकारी
भीलवाडा